कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 57/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.02.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 09.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना – अहरौला, जनपद – आजमगढ़

पालतू कुत्ते को गोली मारने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त असलहा व कारतूस बरामद

☐ **पूर्व की घटना का विवरण**

दिनांक **02.02.2026** को रात्रि लगभग **20:00 बजे** ग्राम **बस्ती भुजवल**, थाना अहरौला क्षेत्र में कुत्तों के विवाद को लेकर वादी पक्ष के पुत्र **रिषू शुक्ला** से अभियुक्तगण की कहासुनी हो गई। इसी दौरान अभियुक्तों द्वारा अवैध असलहे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें गोली युवक को न लगकर उसके **पालतू कुत्ते को लग गई**, जिससे कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर थाना अहरौला पर **मु0अ0सं0 025/2026** धारा **109(1)/351(3)/325 बीएनएस** पंजीकृत किया गया था।

☐ **गिरफ्तारी का विवरण**

दिनांक **09.02.2026** को उ0नि0 **विश्राम गुप्ता** मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **दीपक चौबे** को **करनपुर–इशहाकपुर पुलिया से कुछ दूरी पहले** समय करीब **11:50 बजे** गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से **एक .32 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस** बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में **धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

☐ **पूछताछ का विवरण**

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि दिनांक **02.02.2026** की रात्रि लगभग **20:00 बजे** कुत्तों के विवाद को लेकर वादी पक्ष के पुत्र **रिषू शुक्ला** से कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान अभियुक्त व उसके साथी विवेक चौबे द्वारा अवैध असलहे से फायर किया गया, जिसमें गोली युवक को न लगकर उसके पालतू कुत्ते को लग गई। मौके पर लोगों के आने पर दोनों अभियुक्त फरार हो गए। अभियुक्त ने अपने कृत्य को गलती स्वीकार किया है।

☐ **पंजीकृत अभियोग का विवरण**

1-मु0अ0सं0 – 025/2026 धारा – **109(1), 325, 351(3) बीएनएस** वृद्धि धारा – **3/25 आर्म्स एक्ट** थाना – अहरौला, जनपद – आजमगढ़

☐ **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

1- दीपक चौबे **पिता का नाम** – जनमेजय चौबे **निवास** – ग्राम बस्ती भुजवल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़
उम्र – लगभग 32 वर्ष

☐ **बरामदगी**

एक तमंचा (पिस्टल) .32 बोर, एक जिन्दा कारतूस .32 बोर, एक खोखा कारतूस .32 बोर

☐ **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 177/2023 धारा 201/302/34 भादवि, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 34/2021 धारा 323/427/504/506 भादवि, थाना जैतपुरा, जनपद अम्बेडकर नगर
3. मु0अ0सं0 025/2026 धारा 109(1), 325, 351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

☐♂☐ **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

उ0नि0 विश्राम गुप्ता, उ0नि0 विजयी, हे0का0 हरिश्चन्द्र भास्कर,
का0 प्रमोद कुमार यादव, का0 सौरभ राय *(थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़)*